

No. 23(1)

Form -I
For Non linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

56

Dated 11.6.20

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of non linear projects, it is certified that 0.034 Hectare of Notified Forest land proposed to be diverted in favour of Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie for construction of S.T.P. of Company Garden Zone under Mussoorie Sewerage Scheme Dehradun district falls within jurisdiction of Nagarpalika Parishad Mussoorie.

It is further certified that

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.034 Hectare of Notified Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Nagarpalika Parishad Mussoorie and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 5.9 to 62... annexure
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagarpalika Parishad Mussoorie have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Group and agriculture communities

Encl : as above

(full name and official seal of the District Collector)

Signature

District Magistrate
Dehradun

जिलाधिकारी
देहरादून

Form-II

For Non linear Project

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

No.....

23(2)

Dated.....

11.6.20

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The ministry of Enviroment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest, it is certified that 0.034 hectare of Notified Forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for construction of S.T.P. of Company Garden Zone under Mussoorie Sewerage Scheme Dehradun district falls within jurisdiction of Nagar Palika Parishad Mussoorie.

It is the further certified that

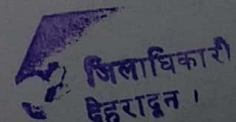
1. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.034 Hectare of Notified Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Concerned Nagar Palika Parishad Mussoorie and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 5.9 to 6.2... annexure
2. The proposal for such diversion (with full details of project and its implications in vernacular/local language) have been placed herefore such concerned Nagar Palika Parishad Mussoorie of forest-dwellers who are eligible under the FRA.
3. The Nagar Palika Parishad Mussoorie has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Chairman Nagar Palika Parishad Mussoorie is enclosed as annexure 5.9 to 6.2... annexure.
4. The discussion and decisions on th such proposals had taken place only when there was a quoum of minumum 50% of the members of Nagar Palika Parishad Mussoorie present.
5. The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Palika Parishad Mussoorie have given their consent to it.
6. The rights of primitive Tribal Gruop and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl : as above

(full name and official seal of the District Collector)

Signature

District Megistrate
Dehradun



OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN (UK)

Preceding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

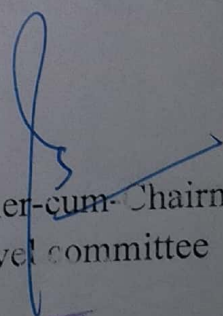
A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. /Mrs. /Miss. Dr. Ashish Kumar Shrivastava Deputy commissioner Dehradun on dated. 4.6.20 at time.....at.....which application claiming rights in Mussoorie forest area measuring 0.034 ha for the construction of S.T.P. at Company Garden Zone under Mussoorie Sewerage Scheme.

Forest land under FAR, 2006 if the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Mussoorie Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny if the documents and detailed discussions, no objection /claims were found have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:.....D.Dm.
 Dated:.....11.6.20

Deputy Commissioner-cum-Chairman
 District level committee


 जिलाधिकारी
 देहरादून।

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून

जनपद – देहरादून

पत्रांक 23(2)

दिनांक – 11.6.20

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त:-

दिनांक 4.6.20 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद-देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड सहसपुर में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कम्पनी गार्डन जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.034 है0 वन भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.034 है0 वन भूमि वन विभाग से निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं एवं उपखण्ड समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार दिगर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी मसूरी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.034 है0 वन भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी मसूरी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला प्रमाण कल्याण अधिकारी
देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी।

जिलाधिकारी
देहरादून।

जिला प्रमाण कल्याण अधिकारी
देहरादून।

दिनांक
देहरादून।

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, मसूरी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, मसूरी।

उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्र में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कम्पनी गार्डन एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.034 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-मसूरी) की दिनांक 24/02/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. श्री/श्रीमती | वसुन्धरा जोशी | उप जिलाधिकारी मसूरी अध्यक्ष |
| 2. श्री/श्रीमती | अनुपम गुप्ता | अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् मसूरी सदस्य। |
| 3. श्री/श्रीमती | कु. की. कान्त | उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी सदस्य। |
| 4. श्री/श्रीमती | आनूष्का वेदवाल | सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहसपुर देहरादून सदस्य। |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कम्पनी गार्डन एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.034 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित नगरपालिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद् मसूरी द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कम्पनी गार्डन एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.034 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मसूरी।
जनपद – देहरादून।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मसूरी।
जनपद – देहरादून

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
नगरपालिका परिषद मसूरी

तहसील - मसूरी

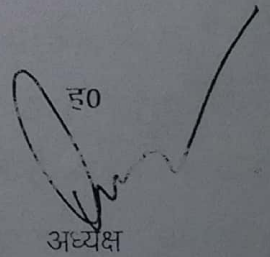
जिला - देहरादून

उत्तराखण्ड में जनपद-देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के द्वारा, मयून्सिपल गार्डन एवं अन्य नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कम्पनी गार्डन जोन की एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिस हेतु अपेक्षित 0.034 है0 वन भूमि/नोटिफाइड वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय दिनांक 12/02/20 को सम्मन्न मसूरी नगर पालिका के साथ हुई बैठक में मसूरी सीवरेज योजना हेतु वांछित भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर क्षेत्रवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि नगर पालिका परिषद् मसूरी को उक्त वन भूमि निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0

 अध्यक्ष

नगरपालिका परिषद्
 मसूरी
 नगर पालिका परिषद्
 मसूरी

-: प्रमाण-पत्र :-

दिनांक .12.02.2020 को मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत भिलाडु, कम्पनी गार्डन एवं कैमल बैक जोन हेतु प्रस्तावित एस0टी0पी0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि की स्वीकृति हेतु, वन भूमि अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में बैठक हुई, उक्त बैठक में नगरपालिका परिषद के 50 प्रतिशत से अधिक सभासद उपस्थित थे।

अध्यक्ष नगरपालिका
परिषद मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

प्रति ~~हस्ताक्षर~~
~~उप~~ जिलाधिकारी
मसूरी।

1. कुलदीप शै देला वार्डन 11- ~~Signature~~
2. जसवीर खौर वार्डन -13 ~~Signature~~
3. नन्द लाल वार्डन-10 ~~Signature~~
4. प्रताप सिंह पवार वार्डन 04 ~~Signature~~
5. दशरथ रावत वार्डन . 07 ~~Signature~~
- ① 6. सुरेश शर्मा वार्डन 12 ~~Signature~~
7. आरती अग्रवाल ~~Signature~~
8. Pankaj Butar ~~Signature~~
9. ~~Signature~~